अंक ५४

नई दिल्ली, अगस्त २०१४

[निजी प्रसार के लिए]

# लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

## 'कानून सम्मत पुलिस सेवा अपने अस्तित्व को न्यायसंगत ठहरा सकती है'

श्रीमती अरूणा बहुगुणा

**राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की पहली महिला निदेशक श्रीमती अरूणा बहुगुणा से पहली महिला निदेशक के रूप में उनके अनुभवों तथा पुलिसिंग और प्रशिक्षण से संबंधित सामान्य विषयों पर ई–मेल द्वारा लिए गये साक्षात्कार को पाठकों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।**

**आप आन्ध्र प्रदेश की पहली महिला आई.पी.एस. अधिकारी थीं और अब राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एन.पी.ए.) का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला निदेशक भी हैं। आपको क्या लगता है इससे पहले एन.पी.ए. का नेतृत्व किसी महिला ने क्यों नहीं किया?**

प्रारम्भिक वर्षों में भारतीय पुलिस सेवा में महिलाओं की संख्या बहुत कम होती थी।

राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षण के प्रति झुकाव होना आवश्यक है। प्रशिक्षार्थियों की सोच को हर स्तर पर आकार देना, नई पहल करना और अर्थपूर्ण नवाचारों को शुरुआत करना तथा क्षेत्र में उनके प्रभाव को मॉनीटर करना सम्मान और सौभाग्य की बात है।

**आमतौर पर महिलाओं को "घर साफ़ करने" के लिए जाना जाता है! क्या आप मानती हैं कि इस केस में यह लागू होता है?**

हर पद में सुधार करने और शुरुआत करने के लिए अवसर और चुनौतियां होती हैं। इसी प्रकार अकादमी और प्रशिक्षण समय–सारणी लगातार विकसित होती रहती हैं। परिवर्तन और सुधार की शुरुआत बहुत ध्यान से और गहन विचार के बाद की जा रही हैं।

**आप खुद भी इस जगह पर एक प्रशिक्षणार्थी थीं, एक महिला प्रशिक्षणार्थी के रूप में आपका क्या अनुभव था? आपके सामने आने वाली कठिनाईयां और क्या तब से चीज़े बदली हैं हार्डवेयर और सॉफ़्ट स्किल्स दोनों ही क्षेत्र में?**

१९७९ बैच में उत्तीर्ण होने वाली एक मात्र महिला प्रशिक्षणार्थी के तौर पर, समय–सारणी बहुत कठिन होती थी क्योंकि आउटडोर प्रशिक्षण में महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था। पाठ्यक्रम और कार्य–प्रणाली में कई परिवर्तन आए हैं। आज प्राध्यापक (Faculty) और कर्मचारी दोनों स्तर पर महिलाएं मौजूद हैं।

**क्या प्रशिक्षण संबंधी कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप हमेशा से सुधारना या बदलना चाहती थीं और आज आपको ऐसा करने का अवसर प्राप्त हुआ है? यदि 'हां' आपने इसे किस प्रकार करने की योजना बनाई है? क्या ऐसे कोई बड़े परिवर्तन हैं जो आप करने का इरादा रखती हैं?**

प्राध्यापक (Faculty) और प्रशिक्षणार्थियों के बीच के रिश्ते को कम अनौपचारिक और अधिक संवादात्मक होना चाहिए, विशेषकर क्योंकि, जूनियर अधिकारियों के समक्ष आने वाली कठिनाईयां पहले के समय से कहीं अधिक जटिल हो गई हैं। उन्हें सही राह की ओर बढ़ने के लिए आश्वस्त और निर्देशित किये जाने की ज़रूरत है। वरिष्ठ प्राध्यापक आज पहले से कहीं अधिक सुगम और पहुंच में हैं।

दुनिया के दूसरे भागों में सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों का प्रदर्शन हर स्तर पर अधिकारियों के दृष्टिकोण और रुझानों को बढ़ायेगा। आज के इस वैश्वीकरण के युग में, पुलिस में सहयोग और संबंध का होना अनिवार्य है। इस विचार से अधिकारियों को दूसरे देशों और संगठनों में उनकी कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के लिए भेजा जा रहा है। इसी उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया के सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन पुलिसिंग एण्ड सेक्यूरिटी (C.E.P.S.) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया गया है और यह आशा की जाती है कि इस विचार को आगे बढ़ाने की ओर यह पहला कदम है। प्रशिक्षण में सुधार लाकर एक विषय को विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन तथा विचारों के आदान प्रदान द्वारा पारदेशीय अपराधों से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करना।

कक्षाएं अधिक विचार उत्पन्न करने वाली और संवादात्मक होनी चाहिए। विषयों की निरन्तरता सुनिश्चित करके तथा इसे क्षेत्र स्तर की परिस्थितियों से जोड़ कर पढ़ाया जाना चाहिए।

**आप एक राष्ट्रीय स्तर की गोल्फ खिलाड़ी हैं और पियानो से आपकी गहरी मित्रता है। क्या आपके विचार में पुलिस में पाठ्य के अतिरिक्त कार्यों के लिए अवसर है, विशेषकर निचले स्तर पर?**

किसी व्यवसाय में शौक को प्रोत्साहित करना बेहद महत्पूर्ण है, अधिक आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि पुलिसिंग एक ऐसा दबावपूर्ण व्यवसाय है, जिसमें प्रतिदिन के तनाव और दबावों के निकास की ज़रूरत होती है। हर स्तर पर इसमें प्रोत्साहन और सहयोग दिया जाना चाहिए।

**प्रायः यह आलोचना होती है कि प्रशिक्षण / प्रशिक्षण अकादमी पुलिसकर्मियों को वास्तव में उस प्रकार तैयार नहीं करते जिसका अनुभव उन्हें क्षेत्र में करना है?**

प्रशिक्षण अकादमी एक अधिकारी को क्षेत्र में आवश्यक हथियारों और कौशल से लैस करके तैयार करती है। इसकी प्रभावकारिताएं इसे उपयोग करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती है। क्या एक मां अपने बच्चे को नहीं बताती कि क्या अच्छा है और इस बड़ी बुरी दुनिया में साकारात्मक उत्तर की आशा के साथ नहीं भेजती? या क्या वह उन्हें बाहर के माहौल में क्या गलत है इसके बारे में प्रशिक्षित नहीं करती है? अंतिम पसंद क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी की होती है– वह कैसे प्रशिक्षण को अपनाता है और अपने प्रशिक्षण को किस प्रकार उपयोग में लाता है। अकादमी को इस राह पर बहुत सावधानी से चलना है और इस विश्वास को मज़बूत बनाना है कि केवल कानून सम्मत पुलिस सेवा ही अपने अस्तित्व को उचित ठहरा सकती है कि पुलिस को नीतिपरक और न्यायसंगत कानून के ढ़ांचे के अन्दर ही काम करना है।

**आप महिला पुलिस कॉन्फ्रेंस की भी एक क्रियाशील सदस्य रही हैं, यह कितना मूल्यवान रहा है और इसने किस प्रकार बल में महिलाओं के मुद्दे उठाये हैं?**

यह अदभुत् है क्योंकि यह एक मात्र कॉन्फ्रेंस है जो बल की सख्त हाइरार्की से बहुत आगे निकल जाता है। यह सामान्य चिंताओं पर आवाज़ उठाने के मंच, एक फोरम के तौर पर काम करता है। इसकी सफ़लता इस प्रकार रही है कि समबद्ध मुद्दों को अब संबोधित किया जा रहा है और जबकि कुछ का निवारण हुआ है, इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक लंबी दूरी तय करना अभी बाकी है।

**'पुलिसिंग आदमियों का काम है, कुछ चीज़ें हैं महिलाएं जिसे कर ही नहीं सकतीं' क्या आप इससे सहमत हैं?**

महिलाएं और पुरुष दोनों में ही शक्तियां और कमज़ोरियां दोनों हैं। जिस शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है वह प्राकृतिक विश्वास जो लोगों का महिलाओं पर है, उनकी सहनशीलता, उनकी दृढ़ता, धीरज और संवेदना।

**एक और प्रचलित विचार है कि जब पुलिसिंग की बात आती है महिलाएं भी उतनी ही बुरी या उससे भी अधिक बुरी हो जाती हैं जितने पुरुष पुलिस। इसमें थोड़ी सच्चाई हो सकती है। इस पर आपके विचार?**

समग्र रूप में देखें तो महिला पुलिस ने ईमानदारी, सच्चाई और सरलता में ख्याति प्राप्त की है। हांलाकि, हमेशा दुर्लभ आसामान्यता रहेगी। हमारी सभ्यता को देखते हुए जहां देवियों और पौराणिक महिला कृतियों को पूजनीय माना जाता है, भारत की जनता को महिला पुलिस से बहुत ऊँची उम्मीदें हैं। परिणामस्वरूप, महिला पुलिसकर्मियों को लगता है कि इन उम्मीदों को नीचा न करने के लिए उन्हें बहुत प्रयत्न करना है।

**राज्य सरकार और बेशक केन्द्र सरकार पुलिस में महिलाओं के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए बड़े–बड़े दावे कर रही है। ऐसा करने के लिए क्या कार्य योजना है? क्या पुलिस**

शेष भाग पृष्ठ २ पर.....

## बूझो और जीतो-३२

प्रिय पाठकों,

इस खण्ड के अंतर्गत, हमने ६ महीने तक लगातार विशेष कानूनों से प्रश्न पूछे थे। बाद में, इसे और अधिक रोचक और विशिष्ट बनाने के लिए हमने इसे एक ख़ास विषय पर केन्द्रित करने का निर्णय लिया था। और, इस बार का विषय है 'तलाशी'। सभी प्रश्न इसी से संबंधित हैं। आशा है, आपको यह पद्धति पसंद आएगी और आप अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पर्याप्त समय मिले। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

**इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं:–**

१. क्या गिरफ़्तारी के भय से भाग कर छिपे किसी आरोपी को तलाश करने के लिए, पुलिस किसी आम नागरिक के घर में घुस सकती है?

२. क्या पुलिस को अधिकार है कि किसी आरोपी को तलाश करने के लिए देश के किसी भी भाग में जा सकती है?

३. क्या किसी आरोपी को ढूढने के लिए पुलिस किसी ऐसे घर में भी घुस सकती है जहां केवल एक पर्दानशीन महिला रहती है? समबद्ध प्रावधान में क्या कहा गया है?

४. गिरफ़्तार व्यक्ति की शारीरिक तलाशी के समय यदि उसके पास सोने की चेन, घड़ी, पैसे प्राप्त होते हैं, तो उसका क्या होगा?

५. किसी महिला आरोपी की शारीरिक तलाशी कौन और कैसे कर सकता है?

**बूझो और जीतो – २९ का परिणाम :**

मई २०१४ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:–

१. इस अपराध के लिए किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति एंव जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा ३ (२) iv के अंतर्गत आजीवन कारावास और जुर्माना चुकाने से दण्डित किया जाएगा।

२. 'हां' किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के कपड़े उतरवाना अनुसूचित जाति एव जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा ३ (१) iii के अंतर्गत एक अपराध है।

३. हां, अनुसूचित जनजाति की युवती के अपहरण करने की तैयारी करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति एंव जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा ३ (१) xi तथा धारा १० के अंतर्गत, २ वर्षों तक के लिए अपना घर छोड़कर जाना पड़ सकता है।

४. नहीं, अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण कानून की धारा १९ में स्पष्ट बताया गया है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति की उम्र १८ वर्ष से अधिक है तब द.प्र.सं. की धारा ३६० उस पर लागू नहीं हो सकेगी अर्थात् उसे परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जाएगा।

५. नहीं, अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण कानून की धारा १४ के अनुसार उक्त कानून के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई केवल विशेष अदालत में ही की जाएगी।

**विजेता :**

इस अंक में हमें प्राप्त प्रविष्टियों में से किसी के भी सभी उत्तर सही नहीं थे। इसलिए, इस अंक में कोई भी विजेता नहीं होगा।

अपने पत्र हमें निम्न पते पर भेजें या ईमेल करें–

ज़ीनत मलिक
प्रधान सम्पादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी-११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव,
नई दिल्ली ११००१७, भारत
फोन : +९१-०११-४१८०२००, ४१३८०२२४-२९९
फैक्स : +९१-०११-२६९६४६८८
ई-मेल : zeenatmalick@gmail.com
वेबसाइट : http://www.humanrightsinitiative.org

# क्या गवाहों और शिकायतकर्ताओं की असुरक्षा न्याय प्राप्ति की राह में बाधक हैं?

शिकायतकर्ताओं, उनके परिजनों और गवाहों को आरोपी और उसके सगे संबंधियों द्वारा धमकियां देना, शारीरिक और मानसिक और यदि वश में हो तो आर्थिक आघात पहुंचाने की घटनाएं दशकों से लगातार चली आ रही हैं। गवाह या शिकायतकर्ता पर किसी प्रकार का भी प्रहार करना सीधे–सीधे न्याय प्रदान करने की राह में बाधक हैं।

## गवाहों के संरक्षण के लिए न्यायालय की शक्तियां और कानूनी दायित्व

भारत दण्ड संहिता के अन्तर्गत

भारतीय दण्ड संहिता की धारा १९५ क के अंतर्गत किसी व्यक्ति को झूठी गवाही देने के लिए प्रेरित करने या धमकाने को ७ वर्ष के कारागार से दण्डनीय बनाया गया है। न केवल यह, बल्कि किसी अपराध की सूचना जानबूझकर पुलिस को न देना भी भ.द.सं. की धारा २०२ के अंतर्गत एक अपराध है जिसके लिए ६ महीने के कारावास का दण्ड भी हो सकता है। अर्थात् गवाही के पहले भी प्रत्येक व्यक्ति पर अपराध की सूचना देने का दायित्व है और इस प्रकार वह एक अहम गवाह बनने से बच नहीं सकता। बल्कि ऐसे कहा जाए कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस और गवाही के चक्कर में न पड़ने के कारण अपराध की सूचना पुलिस को नहीं देता है तो वह भी दण्डनीय अपराध है।

## टाडा और पोटा कानून के अंतर्गत संरक्षण

इसके अलावा, *आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधि (निवारण) अधिनियम* (संक्षिप्त में टाडा कानून) तथा *आतंकवाद निवारण अधिनियम* २००० (संक्षिप्त में पोटा कानून) के अंतर्गत भी गवाहों के नाम व पते को छुपाने के लिए विशेष अदालतों को अधिकृत किया गया है। इसके अनुसार कहा गया है कि वह निर्णय लिखते समय गवाहों के नाम व पते का उल्लेख न करें। यहां तक कि उन्हें गवाहों की पहचान गुप्त रखने के लिए निर्देश जारी करने का भी अधिकार दिया गया है।

## अनुसूचित जाति एंव जनजाति (अत्याचार विरोधी) संशोधन अध्यादेश, २०१४ के अंतर्गत संरक्षण

इस कानून की धारा १५ क में पीड़ितों, उनके परिवारजनों और गवाहों को किसी भी प्रकार के दबाव, आघात, हिंसा या उसकी धमकी से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार पर डाली गई है।

थाना प्रभारी को किसी प्रकार की धमकी आदि की सूचना मिलने पर तुरंत कार्यवाही करने और इसके लिए अलग शिकायत दर्ज करने को कहा गया है और इसके अंतर्गत केसों का निपटारा भी २ महीने के भीतर करने को ही कहा गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा *नीलम कटारा बनाम भारत गणराज्य एंव अन्य, सी.डब्ल्यू.पी. २४७/२००३ के मामले में १४ अक्टूबर २००३ को* "गवाहों के संरक्षण के लिए दिशा–निर्देश" देते हुए यह भी कहा गया था कि जब तक कोई उपयुक्त कानून इस विषय पर नहीं बन जाता गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देश काम करेंगे–

"गवाह" – इसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति, जांच अधिकारी ने जिसका बयान किसी आजीवन कारावास या मृत्यूदण्ड से दण्डनीय अपराध के लिए लिया हो।

"आरोपी" – आरोपी का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिस पर आजीवन कारावास या मृत्यूदण्ड से दण्डनीय अपराध के करने का आरोप हो या संदेह हो।

"सक्षम प्राधिकारी" – का अर्थ है सदस्य सचिव, दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण।

संरक्षण के लिए प्रवेश – किसी गवाह से संरक्षण का आवेदन प्राप्त होने के बाद सक्षम प्राधिकारी यह तय करेंगे कि गवाह को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए या नहीं, किस हद तक और कितनी अवधि तक दी जानी चाहिए।

ध्यान दिये जाने वाले कारक – किसी गवाह को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए या नहीं, सक्षम प्राधिकारी निम्न बातों पर ध्यान देंगे :

i. आरोपी या उसके साथियों से गवाह की सुरक्षा को होने वाले ख़तरे की प्रकृति।

ii. आपराधिक केस या जांच की प्रकृति।

iii. प्रकरण में गवाह का महत्व और गवाह द्वारा दी जाने या देने का वादा किये जाने वाले साक्ष्य या सूचना का मूल्य।

iv. गवाह को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का खर्च।

पुलिस का दायित्व :

१. द.प्र.सं. की धारा १६१ का बयान दर्ज करते समय जांच अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह गवाह को "गवाह संरक्षण दिशा–निर्देशों" के बारे में अवगत कराये और यह भी बताए कि किसी प्रकार की धमकी की स्थिति में वह सक्षम प्राधिकारी के पास जा सकते हैं। जांच अधिकारी इसकी सूचना लिखित में देगा और इस पर गवाह द्वारा उचित रूप से अभिस्वीकृति भी लेगा।

२. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिस गवाह को संरक्षण प्रदान करने का आदेश दिया जाए, उसे संरक्षण प्रदान कराना पुलिस उपायुक्त का दायित्व होगा। हम आगे यह भी निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी राज्य, इन हमारे द्वारा बनाए गये इन निर्देशों का उचित प्रचार करे। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे द्वारा बनाये गये यह दिशा–निर्देश सम्बद्ध आपराधिक अदालत की उन शक्तियों के विरुद्ध नहीं है जिसके अंतर्गत अदालत यह विचार कर लेती है कि किस गवाह को पुलिस संरक्षण दिये जाने की ज़रूरत है।

इसी प्रकार ४ मार्च २०१४ को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार को एक गवाह सुरक्षा स्कीम तैयार करने का निर्देश दिया था।

गवाहों का अपने बयान से पलट जाना और उन पर आघात का ख़तरा केवल भारत में ही नहीं है। बल्कि यह एक सर्वव्यापी समस्या है और कई विकसित देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए पक्के कानून या कार्यक्रम बना रखे हैं। इंगलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए अपना एक 'फुल प्रूफ' प्रबंध कर रखा है।

अमेरिका में, संगठित अपराध और कुछ गंभीर अपराधों के गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न केवल उन्हें मुकदमे की सुनवाई के दौरान पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाती है बल्कि अगर आवश्यकता हो तो गवाह की पहचान बदलकर उसे कहीं और बसाया भी जाता है। वहां गवाहों की सुरक्षा और पुनः आबंटन कार्यक्रम का संचालन संघीय सरकार में या राज्य सरकार में किसी संगठित अपराधिक गतिविधियों या दूसरे गंभीर अपराधों से संबंधित अटर्नी जनरल द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अटर्नी जनरल को अधिकार होता है कि :

(क) गवाह को नई पहचान स्थापित करने के लिए उचित दस्तावेज़ उपलब्ध कराये ;

(ख) गवाह के लिए घर उपलब्ध कराये ;

(ग) गवाह के लिए परिवहन का खर्च उपलब्ध कराये ;

(घ) रहने के लिए बुनियादी खर्चों का भुगतान करे ;

(ङ) रोज़गार ढूँढने में सहायता करे ;

(च) व्यक्ति को स्वंयधारी बनाने के लिए आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना ;

(छ) इस बात का ध्यान रखते हुए कि पर्दाफाश से उस व्यक्ति को किस प्रकार का ख़तरा हो सकता है, उसके प्रकटन को संचालित करना ;

(ज) व्यक्ति की गोपनीयता और पहचान की सुरक्षा करना भी उसकी जिम्मेदारी होती है ;

## भारत में गवाहों पर प्रहार की बढ़ती व बेलगाम घटनाएं

समाचार रिपोर्टों के अनुसार १२ मई २०१४ को एटावा के पास एक गांव में सन्नी यादव नामक युवक ने एक नाबालिग युवती के घर में घुसकर उसका बलात्कार किया। युवती की मां द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के दण्ड के रूप में, भागे हुए आरोपी के परिवारजनों ने उसकी मां को सारे गांव के समक्ष न केवल गालियां दीं, मारा–पीटा और घसीटा, बल्कि तकरीबन २५ लोगों के समक्ष निर्वस्त्र भी किया, जो सामाजिक तौर पर स्वंय एक बलात्कार जैसी ही घिनौनी हरकत है। हांलाकि, इस केस में एस.एस.पी. ने महिला और परिवार की सुरक्षा के लिए दो कांस्टेबल तैनात करने का वादा किया था और पीड़ित महिला भी केस वापस लेकर किसी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन इस स्थिति में इसकी क्या गारंटी है कि उसके परिवार पर दोबारा प्रहार नहीं होगा? या फिर, परिवार, कानूनी लड़ाई को इसके अंजाम तक पहुंचाने में लगने वाली लंबी अवधि तक अपने मनोबल को क़ायम रख पाएगा?

## भारत की स्थिति और सम्भावित उपाय

विधि आयोग के १९८वें रिपोर्ट के अनुसार इसने ज़हीरा शेख, जेसिका लाल हत्या कांड आदि केसों में गवाहों को धमकी या भय के कारण मुकर जाने की घटनाओं को देखते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए पहले अगस्त २००४ में 'गवाह पहचान सुरक्षा एंव गवाह संरक्षण कार्यक्रम' पर एक मंत्रणा पत्र तैयार किया और फिर अगस्त २००६ में अपने १९८वें रिपोर्ट में 'गवाह पहचान सुरक्षा एंव गवाह संरक्षण कार्यक्रम' शिर्षक से तैयार किये गये अंतिम रिपोर्ट में उक्त विषय पर सिफ़ारिशों के साथ–साथ 'गवाह पहचान सुरक्षा' पर एक विधेयक का मसौदा भी संलग्न किया है। हांलाकि, इसमें आयोग ने गवाह संरक्षण कार्यक्रम पर कोई मसौदा नहीं संलग्न किया था। लेकिन, अगर इसे विषय पर विमर्श की मांग को पब्लिक डोमेन में रखा जाए तो विभिन्न पणधारियों द्वारा सलाह लेकर आयोग एक उपयुक्त स्कीम तैयार कर सकती है। जिसमें आघात सम्भावित गवाहों को न केवल जांच और मुकदमे के दौरान बल्कि यदि आवश्यक हो तो इसके बाद भी संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान हो। इसमें शामिल हो सकता है कि :

१. गवाह को उसके निवास के शहर से दूर किसी अन्य शहर में हस्तांतरित करना पड़े,

२. फिर, गवाह को उसी प्रकार की नौकरी उपलब्ध कराना जैसी वह करता आ रहा हो,

३. गवाह को नया नाम, पहचान, राशन कार्ड और पासपोर्ट देना,

४. सरकार को इसके लिए केन्द्रीय स्तर पर एक गवाह संरक्षण कोष की भी स्थापना करनी चाहिए।

देश में लागू कई कानूनों के अंतर्गत गवाहों और पीड़ितों को आघात पहुंचाये जाने की शंका के कारण संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रावधान उपलब्ध हैं, कई उच्च न्यायालय और स्वंय उच्चतम न्यायालय ने भी गवाहों के संरक्षण के लिए उचित स्कीम और कानून बनाने के लिए सरकारों को निर्देश दिये हैं लेकिन आज भी उचित संरक्षण के लिए कोई केन्द्रीय कानून नहीं बनाया जा सका है। इस कारण अधिकांश केसों में भय, लालच, अदालती प्रक्रिया में विलंब के कारण गवाह या ता अपनी गवाही से मुकर जाते हैं या गलत गवाही देने के लिए बाध्य हो जाते हैं और इसका ख़ामियाज़ा सर्वाधिक पीड़ितों को भुगतना पड़ता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के २०१३ के आँकड़ों के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता और विशेष कानूनों के अंतर्गत दर्ज किये गये कुल संज्ञय अपराधों में अपराध सिद्धि दर केवल ७६.६ प्रतिशत है। दोषसिद्धि में कमी के कारणों में निश्चित ही गवाहों का मुकरना या झूठा बयान देना भी शामिल है। संक्षेप में, यह कहना पर्याप्त होगा कि अगर न्याय प्रदान करने की वास्तविक मंशा है तो गवाहों और पीड़ितों की सुरक्षा के सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए तुरंत ही एक केन्द्रीय कानून बना कर लागू किया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक पीड़ितों को न्याय अधिकार के रूप में नहीं बल्कि केवल संभावनाओं के रूप में प्राप्त होता रहेगा।

– ज़ीनत मलिक

---

पृष्ठ १ का शेष भाग.....

## बल महिलाओं की भीड़ को स्वीकारने के लिए तैयार है?

हां, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार महिला पुलिसकर्मियों की एक बड़ी संख्या को भर्ती कर रहे हैं। देश में महिला पुलिस की क्षेत्र में ज़रूरत है। प्रशिक्षण केन्द्रों में अब उनके लिए अलग से समय सारणी है और उनके लिए अधिक पदों को चिन्हित किया जा रहा है। महाराष्ट्र में महिला पुलिसकर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण स्कूल है।

## एन.पी.ए. के नेतृत्व के लिए पिछले दो बैचों से, महिला अधिकारियों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। क्या आपको लगता है कि इसका कोई साकारात्मक प्रभाव समबद्ध पुलिस अधिकारियों की सामान्य सर्विस डिलीवरी पर पड़ा है?

निश्चित रूप से, महिला जनसंख्या के मन में विश्वास और सुरक्षा के भाव बिठाने के लिए अधिक महिला पुलिसकर्मियों की ज़रूरत है। पुरुषों का भी महिला अधिकारियों के प्रति साकारात्मक रुझान रहता है। जब कभी भी महिलाएं किसी काम या ऑपरेशन में शामिल होती हैं, पुरुष सहकर्मियों के व्यवहार में उल्लेखनीय अंतर होता है। जब महिलाएं काम पर लगी हों, प्रताड़ना के आरोप कम होते हैं।

## हाल ही में, कुछ राज्यों ने यह प्रस्ताव रखा है कि बलात्कार के केसों की जांच केवल महिला पुलिसकर्मियों द्वारा ही की जाएगी। दिल्ली में यह प्रचलित है। क्या यह एक अच्छा निर्णय है?

नहीं। सभी अपराधों को, सभी अधिकारियों द्वारा रोका जाना चाहिए और उनकी ज़िम्मेदारी के अधिकारक्षेत्र और कौशल के आधार पर जांच करना चाहिए, न कि लिंग के आधार पर। मुझे दिल्ली के प्रचलन के बारे में जानकारी नहीं है इसलिए उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। महिलाओं के कौशल का सर्वोत्कृष्ट रूप से उपयोग किया जाना चाहिए इसी प्रकार पुरुषों के साथ भी होना चाहिए। हांलाकि, जेन्डर को विशेषज्ञता की जगह नहीं लेनी चाहिए।

## पुलिस में सुधार पर बात करते हुए– आपके विचार में सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? बाधा कहां है? इन अवरोधों को कैसे संबोधित करें और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सुधार के मुद्दों को कैसे संबोधित करता है?

पुलिस का जनता के प्रति रुझान। पुलिस के दृष्टिकोण और रुझानों में निष्पक्षता और इंसाफ़ को सुनिश्चित करने का हल केवल पुलिस के वास्तविक स्वतंत्रता में निहित है। पुलिस सुधार को इसी मकसद के लिए प्रयत्न करना चाहिए। किसी के दृष्टिकोण को वृहद बनाने के लिए दूसरे देशों के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अत्यन्त आवश्यक है।

## आज से पांच वर्ष के बाद आप पुलिसिंग को कैसा देखना चाहेंगी?

एक ऐसे जन–मैत्री विभाग के रूप में जो जनता के द्वारा आदर से बिना भय और नफ़रत के देखा जाए। एक ऐसी पुलिस जो विश्वास योग्य हो और जो जनता के विश्वास का आनन्द उठाती हो, जो समाज के सभी वर्गों के प्रति समान रूप से निष्पक्ष हो, जिसमें सभी अनुभागों और समुदायों के लोग हों, जो पक्षपात या दुर्भावना के बगैर काम करे और सबके लिए समान सुरक्षा सुनिश्चित करती हो।

# क्या आप जानते हैं?

**इस खण्ड के अंतर्गत हम कमज़ोर गवाहों द्वारा आपराधिक कार्यवाही के समय गवाही लेते समय ध्यान देने योग्य आवश्यक बातों के लिए तैयार किये दिशा–निर्देशों को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए कुल ३६ दिशा–निर्देश निर्धारित किये गये हैं। इस श्रृंखला के पहले और दूसरे भाग में क्रमशः १-५, ६-१७वें निर्देश को शामिल किया जा चुका है। इसके आगे के निर्देश इस प्रकार है :**

## आपराधिक मामलों में कमज़ोर गवाहों का बयान दर्ज कराने के लिए दिशा-निर्देश

१८. अदालत सहयोगी व्यक्ति की उपस्थिति की आज्ञा देगी :

(क) अदालत स्वतः या मौखिक अथवा लिखित निवेदन पर, न्यायिक प्रक्रिया में गवाही देने वाले बच्चे को उसकी पसंद के एक व्यक्ति को उसे सहयोग प्रदान करने के लिए उपस्थित रहने की आज्ञा देगी। जो उसे नज़र के सामने, यदि आवश्यक हो तो गवाही स्टैन्ड तक लेकर जाएगा जिसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि सहयोगी व्यक्ति विरोधी पक्ष या जज की दृष्टि से बाल गवाह को बिल्कुल ढक न दे।

(ख) अदालत, कार्यवाही के दौरान सहयोग व्यक्ति को दुर्बल गवाह को भावनात्मक सहयोग प्रदान करने के लिए उसका हाथ पकड़ने या कोई अन्य उचित कदम उठाने की आज्ञा दे सकती है।

(ग) अदालत, सहयोगी व्यक्ति को निर्देशित करेगी कि वह दुर्बल गवाह को, गवाही के समय उत्तेजित, प्रभावित न कर, घुमाये नहीं। अदालत सहयोगी व्यक्ति को यह भी निर्देश देगी कि वह किसी भी परिस्थिति में, दुर्बल व्यक्ति से उसके द्वारा दिये जाने वाले सबूत के बारे में चर्चा न करे।

(घ) जहां कोई दूसरा उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो केवल ऐसी दुर्लभ केसों में, किसी दूसरे गवाह को दुर्बल गवाह का सहयोगी बनाया जाना चाहिए। आमतौर पर माता पिता के अलावा अदालत एक निष्पक्ष व्यक्ति को सहयोगी नियुक्त करेगी। ऐसा केवल अपवादात्मक परिस्थिति में दुर्लभ गवाह की स्थिति को ध्यान में रखते हुए होता है कि अदालत किसी माता या पिता को सहयोगी व्यक्ति के तौर पर नियुक्त करती है।

१९. सहयोगी व्यक्ति की गवाही पहले दर्ज होगी : ऐसे सहयोगी व्यक्ति की गवाही, अगर वह गवाह भी हो तो उसकी गवाही बच्चे की गवाही से पहले दर्ज की जाएगी।

२०. अदालत अनुदेशक नियुक्त करेगी

(i) मुकदमे के विभिन्न चरणों में प्रभावपूर्ण रूप से बातचीत करने या अन्य पणधारियों जैसे डॉक्टर, पुलिस अफ़सर, अभियोजन के वकील, मनोवैज्ञानिकों, बचाव पक्ष के वकीलों और अदालत से संयोजन करने में दुर्बल गवाह की सहायता करने के लिए अदालत अनुदेशक के उपयोग की आज्ञा देगी।

(ii) अदालत स्वतः या दोनों में से किसी भी पार्टी या दुर्बल गवाह के सहयोगी व्यक्ति द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर अगर वह यह तय करती है कि गवाह के लिए उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को समझ कर उसका उत्तर देना कठिन है तो अनुदेशक नियुक्त कर सकती है।

व्याख्या :

(i) यह अनुदेशक कोई अनुवादक, इंटरप्रेटर, बाल मनोवैज्ञानिक, मनोरोग चिकित्सक, समाज सेवक, नेतृत्व काउंसलर, शिक्षक या माता पिता हो सकते हैं, जो शपथ के अधीन होंगे कि वह गवाह से वैसे ही प्रश्न पूछेंगे जैसा अदालत का उद्देश्य होगा।

(ii) अगर अदालत अनुदेशक नियुक्त करती है, सम्बद्ध पक्षों के वकील गवाह से प्रश्न केवल अनुदेशक के माध्यम से पूछेंगे, वह या तो वकील के द्वारा उपयुक्त शब्दों में या, अगर दुर्बल गवाह द्वारा उन शब्दों को समझने की सम्भावना न हो, ऐसे शब्दों या माध्यम द्वारा प्रश्न पूछेंगे जो दुर्बल गवाह के समझ में आने के योग्य हो और जो वकील द्वारा कहे गये अर्थ को बतलाता हो।

२१. सूचित किये जाने का अधिकार एक दुर्बल गवाह, उसके माता पिता या अभिभावक, उसके वकील, यदि नियुक्त किया गया हो तो सहयोगी व्यक्ति, या सहयता प्रदान करने के लिए दूसरे नियुक्त व्यक्ति को है। अदालती प्रक्रिया के पहले संपर्क से लेकर पूरी प्रक्रिया के दौरान लगातार, अदालत द्वारा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में, और जहां तक सहज और उचित हो तत्परता से निम्नलिखित के बारे में सूचित किया जाएगा :

(क) आपराधिक न्याय प्रक्रिया की प्रणालियां जिसमें सम्मिलित होगा दुर्बल गवाह की भुमिका, महत्व, समय और गवाही का ढंग, और तरीके जिसके अंतर्गत मुकदमे की कार्यवाही की जाएगी,

(ख) जब कार्यवाही में भाग ले रहे हों, तब दुर्बल गवाह के लिए उपलब्ध सहयोग तंत्र, जिसमें सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त उचित व्यक्तियों को उपलब्ध कराना भी सम्मिलित होगा,

(ग) सुनवाई और दूसरी समबद्ध घटनाओं का विशिष्ट समय और स्थान,

(घ) रक्षात्मक उपायों की उपलब्धता,

(ङ) लागू कानूनों के अंतर्गत बाल पीड़ितों और गवाहों के अधिकार, इससे संबंधित अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधन जिसमें बाल अधिकारों के सम्मेलन और साधारण सभा द्वारा २६ नवंबर १९८५ को इसके ४०/३४ संकल्प द्वारा अपनाये गये अपराधों के पीड़ित और सत्ता के दुरूप्योग के लिए बुनियादी सिद्धांत के दिशा निर्देश और घोषणा भी सम्मिलित हैं।

(च) विशिष्ट केसों की प्रगति और विन्यास, जिसमें आरोपी का डर, गिरफ़्तारी और उसके हिरासत की स्थिति और उस स्थिति में कोई विचाराधीन परिवर्तन, अभियोक्ता संबंधी निर्णय और मुकदमे के बाद की सम्बद्ध प्रगति और केस का परिणाम।

२२. भाषा, इंटरप्रेटर और दूसरे विशेष सहायक उपाय – अदालत यह सुनिश्चित करेगी कि बाल गवाह या पीड़ित से संबंधित कार्यवाही उस भाषा में की जाए जो बच्चे के समझने योग्य और सरल हो।

अगर बच्चे को उस भाषा या पद्धति में व्याख्या में सहयोग की आवश्यकता हो, जिसे वह समझता हो, उसे मुफ़्त में एक इंटरप्रेटर उपलब्ध कराया जाएगा।

अगर, बच्चे की आयु की दृष्टि से, परिपक्वता के स्तर या विशेष व्यक्तिगत आवश्यकताओं जिसमें किसी प्रकार की अपंगता, जातीयता, ग़रीबी या पुनः उत्पीड़न का खतरा हो सकती है लेकिन केवल इस तक सीमित नहीं है, बच्चे को न्याय प्रक्रिया में बयान देने या भाग लेने के लिए विशेष सहायक उपायों की ज़रूरत होती है, उसे ऐसे उपाय मुफ़्त में उपलब्ध कराये जाएंगे।

२३. दुर्बल गवाहों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र– अदालत यह सुनिश्चित करेगी कि दुर्बल गवाह और सहयोगी व्यक्ति, अगर कोई गवाह को सहजता प्रदान करने वाला हो, उनका प्रतीक्षा क्षेत्र दूसरे व्यक्तियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले प्रतीक्षा क्षेत्र से अलग हो। दुर्बल गवाहों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र सुसज्जित होना चाहिए जिससे की दुर्बल गवाह को सहजता का अनुभव हो सके।

२४. अदालत का दायित्व होगा कि वह दुर्बल गवाह के लिए, निर्देश जारी करके और स्थान, गतिविधि और अदालत के कक्ष में सभी व्यक्तियों के व्यवहार पर जिसमें पार्टियाँ, उनके वकील, बाल गवाह, सहायक व्यक्ति, नियुक्त अभिभावक, अनुदेशक और अदालत के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, को पर्यवेक्षण द्वारा आरामदायक वातावरण सुनिश्चित कराये। बच्चे को गवाह की कुर्सी से अलग हट कर बयान देने की आज्ञा दी जा सकती है। गवाही की कुर्सी या उस दूसरे स्थान से जहां से बच्चा बयान दे रह हो, उसे ऐसे तैयार करना चाहिए कि जब बच्चा गवाही दे रहा हो, वहां से विरोधी पार्टी और उसके वकील को गवाह को सामने से या पार्श्व चित्र द्वारा देखने का अवसर मिले चाहे वह वीडियो लिंक द्वारा ही हो। बयान देने के स्थान पर यह प्रबंध भी होना चाहिए कि अगर दुर्बल गवाह, गवाही के स्थान पर पीठ फेरे बगैर या गवाही के स्थान को छोड़े बगैर विरोधी पक्ष और उसके वकील को देखना चाहे तो वह ऐसा कर सके। ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराने का निर्णय लेते समय, न्यायाधीश को अधिकार होगा कि वह अपने न्यायिक पोशाक को न पहने।

२५. उचित समय पर गवाही – अदालत यह आदेश दे सकती है कि दुर्बल गवाहों की गवाही दिन के ऐसे समय पर ली जानी चाहिए जब दुर्बल गवाह ने अच्छी तरह आराम कर लिया हो।

२६. गवाही के दौरान मध्यावकाश – दुर्बल गवाहों को बयान दर्ज कराने के दौरान जितना उनके विकासात्मक ज़रूरतों के अनुसार आवश्यक हो, राहत के पर्याप्त अवसर की आज्ञा दी जा सकती है।

२७. बाल पीड़ितों और गवाहों की तंदुरूस्ती और एकान्तता को सुरक्षित रखने के उपाय :

(१) बाल पीड़ित या गवाह, उनके माता–पिता, अभिभावक, उनके वकील, सहायक व्यक्ति, दूसरे उपयुक्त व्यक्ति जिसे सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया हो, के निवेदन पर या बच्चे के सर्वश्रेष्ठ हित को देखते हुए, दुर्बल बाल गवाह के एकान्तता को सुरक्षित रखने के लिए और उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए और उसे कष्ट तथा दोबारा उत्पीड़न से रोकने के लिए अदालत स्वतः ही, निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक उपायों का आदेश दे सकती है :

(क) सार्वजनिक रिकॉर्ड से किसी नाम, पता, कार्यस्थल, व्यवसाय या ऐसी किसी भी सूचना को काट देना जिसका उपयोग बच्चे की पहचान के लिए किया जा सकता हो,

(ख) बचाव पक्ष के वकील और अदालत कक्ष में उपस्थित लोगों को बच्चे की पहचान करने या ऐसे किसी भी तथ्य या सूचना के प्रकटन से रोकें, जिससे बच्चे की पहचान होती है,

(ग) किसी भी ऐसे रिकॉर्ड जिससे बच्चे की पहचान होती है, के खुलासे को तब तक रोकने का आदेश देना जब तक अदालत ऐसा करना उचित समझती हो।

(घ) बच्चे को एक झूठा नाम या नंबर देना, जिससे कि आरोपी को उचित अवधि के भीतर अपना बचाव तैयार करने के लिए बच्चे का पूरा नाम और जन्म तिथि ज्ञात हो जाए,

(ङ) गवाही देने वाले बच्चे की विशेषताएं या शारीरिक हुलिये को छिपाने, या बच्चे के कष्ट या नुकसान को रोकने के लिए प्रयत्न, जिसमें गवाही देना सम्मिलित है :

- स्क्रीन के पीछे से,
- छवि या आवाज़ बदलने के उपकरणों का उपयोग करना,
- दूसरे स्थान पर परीक्षण द्वारा, उसी समय वीडियो लिंक से अदालत के कमरे में प्रसारित करे,
- एक योग्यता प्राप्त और उचित बिचौलिये द्वारा, जैसे कि लेकिन जो श्रवण, दृष्टि और वाक तथा अन्य असमर्थता से ग्रस्त बच्चों के अनुदेशक तक ही सीमित नहीं है।

(च) बंद सत्र की कार्यवाही करना,

(छ) अगर बच्चा आरोपी की उपस्थिति में गवाही देने से मना कर देता है या परिस्थितियां दर्शाती हैं कि बच्चा उस व्यक्ति की उपस्थिति में गवाही देने में संकोच करेगा, अदालत आदेश देगी कि आरोपी को अस्थायी रूप से साथ वाले कमरे में रखा जाए जहां एक वीडियो लिंक या एकतरफ़ा शीशे से अदालत की दृश्यता हो। ऐसे केसों में, बचाव पक्ष का वकील अदालत के कमरे में रह कर बच्चे से प्रश्न करेगा, और इस प्रकार आरोपी के मुकाबला करने के अधिकार की गारंटी दी जाएगी,

(ज) कोई अन्य उपाय करना जो अदालत को ज़रूरी लगे, जिसमें जहां उचित हो, बच्चे के सर्वश्रेष्ठ हित को देखते हुये गुमनामी भी सम्मिलित है।

(२) बाल पीड़ित या गवाह की पहचान करने योग्य कोई भी सूचना जिसमें सम्मिलित है नाम, पितृत्व, आयु, पता, को रिकॉर्ड में सीलबंद लिफ़ाफ़े में रखा जाएगा और किसी भी पक्ष या व्यक्ति को निरीक्षण के लिए नहीं दिया जाएगा। प्रमाणित प्रतिलिपि भी नहीं जारी की जाएगी। बाल पीड़ित या गवाह के बारे में बताने के लिए केस में दिये गये केवल ग़लत नाम का उपयोग किया जाएगा।

– प्रस्तुतिः ज़ीनत मलिक

(नोट : उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अंतिम भाग अगले अंक में प्रस्तुत किया जाएगा।)

## आपके विचार

आदरणीय संपादिका जी

नमस्ते,

मैंने जून २०१४ के अंक मे श्री जूलियो फ्रांसिस रोबेरो जी का साक्षात्कार पढा जिसमे पुलिस विभाग के परिचालन संबंधी स्वतंत्रता की आवश्यकता के बारे मे अहम बाते बतायी गयी हैं। पुलिस विभाग के प्रशिक्षण के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा की वर्तमान परिप्रेक्ष में अपराधियों के मोडस (तरीके) में काफी परिवर्तन हो चुका है। वह नई–नई टेक्नॉलजी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका प्रशिक्षण मिलना वर्तमान समय की आवश्यकता बन गयी है।

दूसरी अहम बात यह है कि पुलिस प्रमुख एवं प्रशासन प्रमुख द्वारा पर्यवेक्षन की आवश्यकता है कि ट्राय के नियमों का सही क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा है? उदाहरण के तौर पर देखा जाये तो आरोपी आसानी से डॉक्युमेंट में फेरबदल करके किसी के नाम पर सिम कार्ड खरीदता है और अपराध करके लोगों को फंसाकर निकल जाता है, यदि इसका सही तरह से मूल्यांकन किया जाए और इस पर नियंत्रण रखा जाये तो बहुत सारे अपराधों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर बैंक में अपने ग्राहक को जानें (KYC) की अनिवार्यता है तो मोबाईल ऑपरेटर्स को क्यों नहीं है।

धन्यवाद!

दिनेश दहातोड़े
सहायक पुलिस निरीक्षक,
सायबरसेल गुन्हे शाखा, नागपूर शहर

# पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

## कर्नाटक - सब इंस्पेक्टर को कर्तव्य जागरूक होने का दण्ड

३२ वर्षीय टी.आर. श्रीनिवासन, जो उच्च स्तरीय यातायात थाने से समबद्ध हैं, को बैंगलोर यातायात पुलिस के कार्यान्वयन शाखा से हस्तांतरित करके जांच शाखा में भेज दिया गया है। श्रीनिवासन २० महीने पहले ही बल में सम्मिलित हुये थे और यह इनकी तीसरी तैनाती होगी।

इस सब इंस्पेक्टर का दोष यह था कि इसने १६ जुलाई को सामाजिक कल्याण मंत्री एच. अंजानेया और बाल विकास मंत्री उमाश्री की कार को रोका था और इनके ड्राईवरों पर सीट बेल्ट न लगाने और कार चलाते समय मोबाईल फोन के उपयोग के लिए जुर्माना लगाया था। हांलाकि, उस समय गाड़ी में मंत्री मौजूद नहीं थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में अपने ड्राईवरों की शिकायत पर दोनों ने उनके वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की थी। श्री श्रीनिवासन को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) श्री बी. दयानन्द द्वारा जारी एक मेमो प्राप्त हुआ जिसमें घटना पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। हांलाकि, स्पष्टीकरण देने के पहले ही उनका हस्तांतरण कर दिया गया।

यह पहली बार नहीं है कि यह सब इंस्पेक्टर अच्छे कारणों से चर्चा में है। जुलाई के प्रारंभ में भी इन्होंने दो बड़ी गाड़ियों के ड्राईवरों पर रेस कोर्स रोड पर तेज़ी से गाड़ी चलाने के लिए जुर्माना लगाया था, इनमें से बेंगलोर के कैबिनेट मंत्री की गाड़ी थी और दूसरी पूर्व केन्द्रीय मंत्री की। इसके अलावा वह सुभाष नगर के काउंसलर पर यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगा चुके हैं।

हांलाकि, उप पुलिस कमिश्नर (यातायात–पूर्व) एम. आर. बाबु राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि श्री श्रीनिवासन कार्यान्वयन और जांच दोनों ही शाखाओं को संभाल रहे हैं। उन्होंने यह बताया कि उन्हें मेमो मीडिया के साथ सूचना बांटने के लिए जारी किया गया था। लेकिन, उनके हस्तांतरण का कारण क्या है यह बताने से उन्होंने इंकार कर दिया।

हस्तांतरण का कारण कोई बताये या न बताये स्वतः स्पष्ट है। श्रीनिवासन और उन जैसे सभी कर्तव्यबद्ध पुलिसकर्मियों को सी. एच.आर.आई. का सलाम! साथ ही, ऐसे हस्तांतरण को अपनी नियती समझ कर आगे बढ़ते जाना ही इनकी रणनीति होनी चाहिए। लेकिन, उपरोक्त हस्तांतरण इस बात पर मुहर लगाते हैं कि उच्चतम न्यायालय निर्देश दे या कोई कानून बनाया जाए, व्यवहारिक रूप में पुलिस की बागडोर राजनेताओं के हाँथों में ही और यह बेहद दुःखद सत्य है जिस पर लगाम लगाना जनता और पुलिस दोनों के हित में है।

*(सौजन्य : द हिन्दु डॉट कॉम, २५ जुलाई, २०१४)*

## दिल्ली पुलिस की हेल्पलाईन सेवा १०९३-चारों ओर हिट

दिल्ली पुलिस की '१०९३' हेल्पलाईन सेवा मुसीबत के समय में किया जाने वाला एक सामाजिक प्रयोग था। जो अब महीनों के अंदर एक प्रभावकारी विपत्ती प्रबंधन प्रणाली बन गई है।

प्रारंभ में इस हेल्पलाईन का प्रारंभ नीडो–तानिया हत्याकांड के बाद, पूरी तरह उत्तरपूर्वी मूल के भारतीयों की शिकायत के लिए किया गया था। अब यह अनौपचारिक रूप से ५ एन.सी.आर. के शहरों में कार्यरत है। हांलाकि, कई लोग इसकी अवसंरचना को केवल ढाँचा मात्र समझते हैं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस के व्हाट्स ऐप और फेसबुक एकाउंट को उत्तरी पूर्व के भारतीयों द्वारा चेन्नई और आगरा तक से संपर्क किया जा रहा है। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, "हमें छेड़खानी से लेकर काले घेरे तक की शिकायत प्राप्त हो रही है और उनकी भी जो साईबर स्टॉकिंग से लेकर हत्या की कोशिश तक की शिकायत करते हैं।"

हांलाकि, बताया जाता है कि यह हेल्पलाईन तकनीकी रूप से एन. सी.आर. के बाहर से आने वाले फोन कॉल को रिसीव करने में सक्षम नहीं है, लेकिन इस पर तकरीबन एक महीने के भीतर उत्तर पूर्वी भारतीयों द्वारा दिल्ली के आस–पास के ५ शहरों से ११ से अधिक फोन कॉल रिसीव किया गया है जिसे फिर स्थानीय पुलिस तक कार्यवाही के लिए पहुंचाया गया।

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल शाखा द्वारा ई–मेल, व्हाट्स ऐप और फेसबुक द्वारा १०० शिकायतें उत्तरपूर्वी लोगों की सुरक्षा के लिए प्राप्त की गई हैं। यह कोलकाता, चेन्नई, देहरादून, मेरठ, जयपुर जैसे शहरों से प्राप्त हुई हैं। गुड़गांव में एन. ई. की नोडल अफ़सर, आई.पी.एस. नाज़नीन भसीन और मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने दिल्ली पुलिस की इस हेल्पलाईन के पैटर्न को लागू कराने के लिए व्यक्तिगत रुचि दिखाई। गृह मंत्रालय में हुई एक मीटिंग के दौरान, समिति से बातचीत में बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई पुलिस ने इस मॉडल को अपनाने में सच्ची रुचि दिखाई है। गृह मंत्रालय द्वारा उत्तरपूर्व के लोगों की सुरक्षा पर सलाह देने के लिए गठित बेज़बरूआ समिति ने १०९३ को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की सिफ़ारिश की है।

हांलाकि, इससे जुड़े लोगों का कहना है कि इस अवधारणा में बहुत अच्छा करने की क्षमता है लेकिन इसकी वर्तमान अवसंरचना चिंता का विषय है जिसमें कुछ कंप्यूटर और और दो–तीन लोग ही काम करने के लिए उपलब्ध हैं। इस हेल्पलाईन के उपयोग के लिए अधिक संख्या में लोगों के आने के कारण यह कहा जा रहा है कि यदि इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए तो यह, चमत्कार कर सकता है।

पिछले कुछ समय से उत्तर पूर्वी भारतीयों के विरूद्ध हो रही हिंसा को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा प्रयुक्त १०९३ हेल्पलाईन को सभी राज्यों द्वारा तुरंत अपना लिया जाना चाहिए ताकि संबंध लोगों द्वारा सुरक्षा और सहायता प्राप्त करने की आशा बनी रहे और दिल्ली पुलिस निःसंदेह अपने प्रयत्न के लिए बधाई की पात्र है।

*(सौजन्य : हिन्दुस्तान टाईम्स डॉट कॉम, ३ अगस्त २०१४)*

## महिला सशक्तीकरण का वचन, पुलिस में ३३ प्रतिशत आरक्षण का आह्वान

केन्द्र के मॉडल से प्रेरणा लेकर, गुजरात सरकार ने जून २०१४ में प्रदेश पुलिस में महिलाओं को ३३ प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। गुजरात सरकार की इस पहल से प्रभावित होकर महिला एंव बाल विकास मंत्री श्रीमति मेनका गांधी ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखकर उन्हें गुजरात सरकार के पदचिन्हों पर चलते हुए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए पुलिस बल में ३३ प्रतिशत आरक्षण देने का आग्रह किया है।

उपरोक्त निर्देशों पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चव्हान ने कहा है कि वह शीघ्र ही अपने यहां आरक्षण की सीमा को वर्तमान के १० प्रतिशत से बढ़ाकर ३० प्रतिशत कर देंगे।

पुलिस बल में महिलाओं की प्रतिनिधित्व पूर्व से ही बहुत कम रही है। २०११ में मिज़ोरम में कोई भी महिला बल में नहीं थी। जबकि, उत्तर प्रदेश के १.८७ लाख पुलिसकर्मियों में से महिलाओं की भागीदारी केवल २,३५४ है। वर्तमान में, महिलाएं कुल पुलिस बल का केवल ५.३३ प्रतिशत हैं।

पुलिस अनुसंधान एंव विकास ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार देश भर में कुल १५.८५ लाख पुलिसकर्मियों में केवल ८४,४७६ पुलिसकर्मी महिलाएं हैं। देश में सबसे अधिक महिलाएं, महाराष्ट्र पुलिस में हैं जिनकी संख्या वहां २०,०६२ है।

एक ओर जहां कुल पुलिसबल में महिलाओं का अनुपात तकरीबन ५ प्रतिशत है वहीं ऊँचे स्तर पर यह अनुपात लगभग अतुलनीय है। महानिदेशक और विशेष महानिदेशक के स्तर पर देश में केवल १६ महिलाएं हैं। जबकि महानिरीक्षक स्तर पर देश भर में केवल २४ महिला अधिकारी मौजूद हैं।

पुलिस में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कमी हर स्तर पर होने के कारण, उन्हें ३३ प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना बेहद आवश्यक हो गया है। विशेषकर, जिस अनुपात में भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का आँकड़ा बढ़ता जा रहा है। यहां, यह स्पष्ट होना चाहिए कि पुलिस में, महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी केवल महिलाओं के घटित अपराधों की जांच के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि वह पीड़ित महिलाओं को थाने तक सहजता से लाने के लिए भी आवश्यक है। महिला पुलिस की बढ़ी हुई संख्या महिलाओं के पुलिस पर विश्वास को कायम रखने में सहायक सिद्ध होगी।

आशा है, राज्य सरकारें तुरंत इस विषय पर कार्यवाही करके पुलिस में महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत आरक्षण सुरक्षित करेंगी, जिससे पुलिसिंग के एक नये युग का प्रारंभ होगा।

*(सौजन्य : न्यूज़ डॉट वन इंडिया डॉट इन, ६ अगस्त २०१४)*

### पुलिस अवसंरचना-कुछ तथ्य

१. पुलिस बल की वास्तविक संख्या - १७,३१,५३७
२. बल में पुलिस की अनुमोदित संख्या - २२,४३,२८८
३. पुलिस बल में रिक्त पदों की संख्या - ५,११,७५१
४. सैन्य बलों से सिविल पुलिस का अनुपात २०१३ में १:४ का बताया जाता है।
५. २०१३ में ए.एस.आई. एंव ऊँचे अधिकारियों का हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल से अनुपात राष्ट्रीय स्तर पर तकरीबन १:७ था।
६. ३१ दिसंबर २०१३ तक, बल में १४.७% अनुसूचित जाति और १०.८% अनुसूचित जनजाति के पुलिसकर्मी थे।
७. ३१ दिसंबर २०१३ तक, मुसलमानों का पुलिस बल में कुल प्रतिनिधित्व ६.६ : था।
८. देश में प्रत्येक १०० वर्ग किलोमी. पर ५४.७ दर्ज की गई।
९. २०१३ में, ५२६ थानों को महिला थाना अधिसूचित किया गया।
१०. २०१३ में, प्रत्येक १ लाख व्यक्ति पर १४१ पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

सौजन्य : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के २०१३ के 'भारत में अपराध' नामक रिपोर्ट से लिया हुआ।

हम, ***लोक पुलिस*** के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी–११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली–११००१७, भारत
टेली :. ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स :. ९१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org